भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2712

दिनांक 16 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

राज्य वितरण कंपनियों की देयताएं

2712. श्री अशोक सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लगातार वित्तीय पुनर्गठन पैकेजों के बावजूद राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों की संचित देयताओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने आपूर्ति लागत तथा प्राप्त राजस्व के बीच वास्तविक राजसहायता अंतर का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है, जिसमें राज्य राजसहायता भुगतान में देरी भी शामिल है;

(ग) क्या स्मार्ट मीटरिंग के विस्तार को एटीएंडसी हानियों में मापनीय कमी से जोड़ा गया है और क्या लक्ष्य पूरा न होने पर शास्तियों के प्रावधान मौजूदा हैं; और

(घ) क्या फीडर-स्तरीय आंकड़ों के अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ डिस्कॉम के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-निष्पादन मानक ढ़ांचे पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए विद्युत वितरण संबंधित विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित विद्युत वितरण यूटिलिटी की वार्षिक एकीकृत रेटिंग एवं रैंकिंग रिपोर्ट में प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंडों की वार्षिक स्थिति बताई गई है, जिसमें यूटिलिटी के बकाया ऋण और राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी में अंतर शामिल हैं।

उपर्युक्त विद्युत वितरण यूटिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल बकाया ऋण और सब्सिडी का विवरण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

	वित्त वर्ष 2023-24	**वित्त वर्ष 2024-25**
बकाया उधार	7,58,996	7,26,378
शुल्क सब्सिडी का बिल	2,10,710	2,40,992
शुल्क सब्सिडी प्राप्त	2,05,346	2,38,332

भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए उनका समर्थन कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

i) वित्तीय रूप से सतत और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत निधि का आवंटन राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा अपने कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने से जुड़ा है।
ii) राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% के बराबर अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा दी गई है, जो विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर आधारित है।
iii) राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्युत वितरण यूटिलिटी के कार्य-निष्पादन पर निर्भर हैं।
iv) ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम, ताकि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतों को शामिल किया जा सके।
v) उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.87% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई है। साथ ही, आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व (एसीएस-एआरआर) का राष्ट्रीय अंतर 0.63 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.06 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

(ग) : स्मार्ट मीटरों की संस्थापना चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों दोनों को लाभ पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने राज्य स्कीमों सहित विभिन्न अन्य स्कीमों के तहत स्मार्ट मीटर संस्थापित किए हैं। दिनांक 11.03.2026 तक, देश में विभिन्न स्कीमों के तहत 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्थापित किए जा चुके हैं।

स्मार्ट मीटरिंग से डिस्कॉम को सटीक ऊर्जा लेखांकन और ऑडिटिंग तथा प्रीपेड बिलिंग के माध्यम से अपने कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि को कम करने में मदद मिलती है।

बिहार और असम जैसे राज्यों में, जहां बड़ी संख्या में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, इसका प्रभाव निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ:

राज्य	**स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं का प्रतिशत**	**वित्त वर्ष 20**	**वित्त वर्ष 24**
असम	78	23.39%	15.44%
बिहार	85	39.95%	15.51%

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि दोनों राज्यों ने प्रचालनात्मक और वित्तीय दोनों मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है।

इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस के अंतर्गत धनराशि का निर्गमन प्रमुख प्रचालनात्मक और वित्तीय मापदंडों पर यूटिलिटी के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करता है, जिसमें एटीएंडसी हानि में कमी शामिल है।

(घ) : वितरण यूटिलिटी के प्रचालनात्मक और वित्तीय मापदंड जैसे एटीएंडसी हानि, कर पश्चात् लाभ (पीएटी) आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर अंतर) के बीच का अंतर आदि की गणना वार्षिक रूप से वितरण यूटिलिटी स्तर पर उनके लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय खातों के आधार पर की जाती है।

****